# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
## (जिला – जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीराम जी भाई कलबी आर.ए.एस.
**मुकदमा नम्बर 95/2022**
**जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2022/192**

**प्रार्थीगण**

1. नीजामुदीन पुत्र हनीफ खां निवासी सिंधियो की ढाणी बावरली तहसील बालेसर जिला जोधपुर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती</u>**

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री घेवरदास रामावत उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

**–:: निर्णय ::–**

दिनांकः– 26/3/24

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थी की सामलाती खातेदारी की भूमि मौजा इस्लामनगर पटवार हल्का उटाम्बर तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 270 एवं मौजा बावरली पटवार हल्का बावरली के खसरा नम्बर 279/6, 284 भूमि स्थित है। उक्त खसरों के राजस्व रेकर्ड मे सहवन से प्रार्थी का नाम गलत दर्ज किया गया है। खसरा नम्बर 270 एवं 284 मे प्रार्थी का नाम निजमदीन एवं खसरा नम्बर 279/6 मे निजामखां दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम नीजामुदीन है। प्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे नाम शुद्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करे हुए उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे निजामखां पुत्र हनीफ खां, निजमदीन पुत्र हनीफखां के स्थान पर नीजामुदीन पुत्र हनीफ खां नाम शुद्ध करने की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त शुद्धि के समर्थन में प्रस्तुत विभिन्न पहचान दस्तावेजों एवं अप्रार्थी (राजकीय पेरोकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्व करने में प्रार्थी अधिवक्ता सफल रहे है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मौजा बावरली तहसील बालेसर के खसरा नम्बर 279/6 के राजस्व रेकर्ड मे निजाम खां पुत्र हनीफ खां के स्थान पर नीजामुदीन पुत्र हनीफ खां मौजा बावरली तहसील बालेसर के खसरा नम्बर 284 के राजस्व रेकर्ड मे [illegible] हनीफ खां के स्थान पर नीजामुदीन पुत्र हनीफ खां एवं मौजा इस्लामनगर त[illegible]र के खसरा नम्बर 270 के राजस्व रेकर्ड मे निजमदीन पुत्र हनीफ खां के स्थान [illegible] नीजा[illegible] पुत्र हनीफ खां नाम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार [illegible] प्रार्थी का नाम शुद्ध करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सभी पक्षकारन अपना अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 26/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramjibhai Kalb
Date: 2024.05.24 11:55:05 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
**पीठासीन अधिकारी**
**एवं उपखण्ड अधिकारी,**
**बालेसर**